रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 4 जून, 2004/14 ज्येष्ठ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

आदेश

हमीरपुर, 21 मई, 2004

संख्या: पी० सी० एन०-एच० एम० आर० (5) (ई) 1/2004-2302-2307.—यह कि श्री राम रखा प्रधान ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर को कार्यालय आदेश संख्या-पी० सी० एन०-एच० एम० आर० (5)7/2003-2228-34, दिनांक 17-5-2004 द्वारा निम्नलिखित आरोप प्रमाणित होने के कारण प्रधान पद से निलम्बित किया गया। आरोपों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. ग्राम पंचायस जाहू ने प्रस्ताव संख्या-1, दिनांक 4-2-2001 पारित करके गुजरात में आए भूकम्प के पीड़ितों के सहायतार्थ राशि एकत्रित करने हेतु रसीद बुकें छपवाने का निर्णय लिया। प्रस्ताव में दर्ज विवरण अनुसार 10 रसीद बुकें छपवानी थी। परन्तु छपवाई गई रसीद बुकों का स्टाक दर्ज न कराया गया।

2. उक्त छपवाई गई रसीद बुकों को पंचायत सदस्यों को लोगों से राशि एकत्रित करने हेतु दिया गया । परन्तु इसका कोई रिकार्ड न रखा गया जबकि रिकार्ड रखना अनिवार्य था। इन रसीद बुकों में से 8 रसीद बुकों में एकत्रित राशि, जो मुलधन 3,910/- रुपये बनती है, सम्बबन्धित सदस्यों ने प्रधान श्री राम रखा के पास लगभग तीन वर्ष पूर्व जमा करवा दी थी परन्तु प्रधान ने इस राशि को न तो सम्बन्धित विभाग को भेजा और न ही इस राशि को पंचायत लेखा में जमा किया।

3. श्री धनी राम व सर्वजीत सदस्यों के पास दी गई रसीद बुकों व राशि प्राप्ति हेतु कोई कार्यवाही न करना जबकि प्रधान होने के नाते यह उनका कर्त्तव्य था ।

उपरोक्त वर्णित आरोपों में प्रधान की प्रारम्भिक छानबीन के आधार पर संलिप्तता पाये जाने के कारण दिनांक 17-5-2004 को प्रधान पद से निलम्बित किया गया। अब इन आरोपों की वास्तविकता जानने व मामले को पूर्ण स्थिति सामने लाने हेतु नियमित जांच करवाने का निर्णय लिया गया है ।

अतः मैं, देवेश कुमार (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, का प्रयोग करते हुए श्री राम रखा प्रधान (निलम्बित) ग्राम पंचायत जाहू, विकास खम्ड भोरन्ज के विरुद्ध हुई कथित आदेशों की नियमित जांच हेतु उप-मण्डलाधिकारी (ना0) हमीरपुर को जांच अधिकारी तथा पंचायत निरीक्षक भोरन्ज को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता हूं।

देवेश कुमार (भ0 प्र0 से0),
उपायुक्त,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 22 मई, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (रिक्त पद) 8/2003-3653-57.—यह कि पंचायत सचिव ग्राम पंचायत टिक्कर तथा खण्ड विकास अधिकारी रोहड़ू की रिपोर्ट अनुसार श्री भगवान सिंह सदस्य वार्ड नं0 7, ग्राम पंचायत टिक्कर का देहान्त हो चुका है, जिस कारण ग्राम पंचायत टिक्कर के वार्ड नं0 7 का सदस्य पद रिक्त हो गया है और खण्ड विकास अधिकारी रोहड़ू ने पत्र संख्या रा0 वी0 पंच0/04-752, दिनांक 28-4-2004 के अन्तर्गत सदस्य पद वार्ड नं0 7, ग्राम पंचायत टिक्कर को रिक्त घोषित करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(4) के अन्तर्गत विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भगवान सिंह सदस्य वार्ड नं0 7, ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड रोहड़ू के सदस्य पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

कारण बताओ नोटिस

शिमला-2, 22 मई, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (4)-105/78-3658-61.—एतद्द्वारा श्री यशपाल सदस्य, पंचायत समिति, जुब्बल-कोटखाई, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का ध्यान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122(1) के खण्ड(ग) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्नत: है:—

कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिये निरर्हित होगा, यदि उसने, राज्य सरकार नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसायटी की, या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहित किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब तक कि उस तारीख से जिसको उसे उससे बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो ।

यह कि वन मण्डल अधिकारी, ठियोग वन मण्डल ठियोग से प्राप्त सूचना अनुसार तहसीलदार, कोटखाई के माध्यम से करवाई गई प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट से यह पाया गया कि श्री यशपाल सदस्य, पंचायत समिति जुब्बल-कोटखाई ने अराजी खसरा नं0 27, 28 रकबा तादादी 0-66-08 हैक्टेयर व अराजी 6 वर्ष पूर्व खसरा नं0 45/1, रकबा 0-01-96 हैक्टेयर किसम चारागाह ब्रखतान में कब्जा नाजायज कर रखा है । भूमि पर किये गये नाजायज कब्जे को नियमित करने हेतु 13-8-2002 को तहसीलदार कोटखाई के कार्यालय में आवेदन-पत्र दायर किया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त श्री यशपाल, सदस्य पंचायत समिति जुब्बल-कोटखाई द्वारा वर्ष 2000 में सदस्य पंचायत समिति पद के निर्वाचनार्थ नामांकन पत्र दायर करते समय सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा न होने बारे झूठी घोषणा की गई है, जबकि तहसीलदार कोटखाई के कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुसार उसने अराजी खसरा नं0 27, 28 व 45/1 रकबा तादादी 0-68-04 हैक्टेयर व अराजी 15 वर्ष पूर्व कब्जा नाजायज से कब्जा होना स्वीकार किया है । इसलिये हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 122(1) (ग) के प्रावधान अनुसार यह सदस्य पंचायत समिति जुब्बल-कोटखाई के पद पर बने रहने के लिये निरर्हित हो गये हैं ।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा उक्त श्री यशपाल सदस्य, पंचायत समिति जुब्बल-कोटखाई विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना उत्तर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें इस कृत्य के लिये हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके पद से हटा कर सदस्य पंचायत समिति, जुब्बल-कोटखाई के पद को रिक्त घोषित कर दिया जाये । उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाई अमल में लाई जायेगी ।

एस0 के0 बी0 एस0 नेगी,
उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

शिमला, 25 मई, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (4) 200/85-3721-25.—यह कि प्रधान ग्राम पंचायत किन्नू तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 9-4-2003 को श्री लाल सिंह, उप-प्रधान के कार्यकलापों के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी और प्रधान ग्राम पंचायत किन्नू द्वारा दिनांक 15-5-2003 को उपायुक्त महोदय शिमला को उक्त श्री लाल सिंह, उप-प्रधान ग्राम पंचायत किन्नू के विरुद्ध प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में शिकायत की गई थी । इन शिकायत पत्रों पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा

श्री लाल सिंह अकेक्षक कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी शिमला तथा पंचायत निरीक्षक रामपुर, विकास खण्ड रामपुर के माध्यम से जांच करवाई गई । जांच करने पर श्री लाल सिंह उप-प्रधान, ग्राम पंचायत किन्नू के विरुद्ध निम्न लिखित आरोपों की पुष्टि हुई है :—

. यह कि दिनांक 10-8-2001 को मु0 2000/- रुपये की राशि 15 अगस्त 2001 को समारोह मनाने हेतु अग्रिम रूप में ली थी जिसका हिसाब आज दिन तक उप-प्रधान श्री लाल सिंह ने ग्राम पंचायत किन्नू को नहीं दिया है और दिनांक 23-2-2002 को मु0 3000/- रुपये की राशि प्राथमिक पाठशाला छोटारूड़पू हेतु अग्रिम रूप में ली थी इस राशि का हिसाब भी आपने आज दिन तक ग्राम पंचायत किन्नू के पंचायत सचिव को नहीं सौंपा है। इन राशियों के समायोजन हेतु श्री लाल सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत किन्नू को अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या पी0 सो0 एच0-एस0 एम0 एल0 (10) 124/82 1871 दिनांक 30-4-2003 को लिखा गया था।

. यह कि श्री लाल सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत किन्नू, द्वारा तीन प्रमाण पत्र उप-प्रधान, ग्राम पंचायत की हैसियत से जारी किये हैं जबकि वह प्रधान के होते हुए इस तरह के प्रमाण-पत्र उप-प्रधान की मोहर के अन्तर्गत निकमानुसार जारी नहीं कर सकते हैं जारी किए गए प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां सलंग्न की जाती हैं ।

उपरोक्त आरोपों से स्पष्ट है कि श्री लाल सिंह, उप-प्रधान ग्राम पंचायत किन्नू, तहसील रामपुर, जिला शिमला अपने कार्य व कर्तव्यों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व इसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन भली भान्ति निभाने में असफल रहे जिसके कारण उनका उप-प्रधान जैसे महत्वपूर्ण पद पर बना रहना उक्त पद की गरीमा के विरुद्ध है और उपरोक्त मु0 5000/- रुपये की राशि का दुरुपयोग करने में भी वह संलिप्त पाये गये हैं ।

अतः मैं जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (1) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम, 142 के अन्तर्गत यह कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न श्री लाल सिंह, उप-प्रधान ग्राम पंचायत किन्नू, तहसील रामपुर, जिला शिमला को उनके उपरोक्त कृत्यों के लिए उनको पद से हटा दिया जाए । आप इस कारण बताओ का उत्तर अधोहस्ताक्षरी को अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए 15 दिन के भीतर-भीतर प्रस्तुत करें अन्यथा विहित अवधि के भीतर उतर प्राप्त न होने पर उक्त उप-प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

जोगिन्द्र कुमार शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
शिमला, जिला शिमला-1.

कार्यालय उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

सोलन, 21 मई, 2004

संख्या सोलन-3-76(पंच)/2002-3266-72.—यह कि श्री राजेश कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत कनैर, वार्ड नं0 2, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0) के 8 जून, 2001 के उपरान्त दिनांक 30-1-2004 को एक अतिरिक्त तीसरी सन्तान पैदा होने के फलस्वरूप उन्हें इस कार्यालय द्वारा कारण

बताओ नोटिस पंजीकृत संख्या सोलन-3-76(पंच)/2002-2047-52 दिनांक 6-4-2004 द्वारा 15 दिनों के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए थे कि क्यों न उन्हें पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122(1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत सदस्य पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाए ।

क्योंकि श्री राजेश कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत कनैर, वार्ड नं0 2, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0) के कारण बताओ नोटिस पर निर्धारित अवधि में कोई स्पष्टिकरण इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । जिससे यह स्पष्ट होता है कि कारण बताओ तोटिस के बारे में उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है । और उसमें लगाए गए आरोप सही हैं । पंचायत पदाधिकारियों को दो से अधिक सन्तान होने पर अयोग्यता का प्रावधान 8 जून, 2000 को पंचायती राज अधिनियम में लाया गया । परन्तु इस प्रावधान पर अमल की छुट 8 जून, 2001 तक दी गई थी । इस प्रकार वर्णित प्रावधान में प्रत्येक पंचायती राज पदाधिकारी जिसके 8 जून, 2001 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान उत्पन्न होती है, वह अपने पद पर रहने के अयोग्य है । ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में श्री राजेश कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत कनैर, वार्ड नं0 2, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0) का सदस्य पद पर पदासीन रहना हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों के प्रदत्त प्रावधान के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, राजेश कुमार (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0) उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122(2) के अधीन प्राप्त हैं । श्री राजेश कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत कनैर, वार्ड नं0 2, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0) को तत्काल सदस्य पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हू तथा हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम की धारा 131(1) के प्रावधान के अनुपालना में ग्राम पंचायत कनैर, वार्ड नं0 2, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

राजेश कुमार,
उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ।

———

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित